

सम-सीमान्त उपयोगिता नियम (Law of Equimarginal Utility)

इस नियम को उपयोगिता के क्षेत्र का आधारभूत नियम के रूप में जाना जाता है। क्योंकि इस नियम का प्रतिपादन प्रसिद्ध अधिकांशी प्रो० एस० एस० गोखले ने की है। इस नियम के गोखले के दूसरा नियम के रूप में उद्धृत होता है। प्रो० मार्शल ने इस नियम को परिभाषित करते हुए कहा है कि "यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु है जिससे वह विभिन्न प्रकार के प्रयोग कर सकता है तो वह वस्तु का अनेक प्रयोगों में इस प्रकार विवरण करेगा कि सीमान्त उपयोगिता प्रत्येक में समान हो।" दूसरी तरफ प्रो० सैमुएल्सन ने इसका विश्लेषण करते हुए कहा है कि "एक उपभोक्ता इस समय तक अधिक वस्तु प्राप्त करता है जब तक वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा कीमत का अनुपात बराबर होता है।" अर्थात् सम-सीमान्त उपयोगिता नियम के द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि जब व्यक्त की प्रत्येक सीमान्त इकाई के प्राप्त उपयोगिता समान होता है तो उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। इस नियम का विस्तृत विश्लेषण प्रो० मार्शल द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा उन्होंने इस संबंध में कुछ मान्यताओं की भी पंच की।

सम-सीमान्त उपयोगिता नियम की मान्यताएँ :-

(I) क्रमागत उपयोगिता द्वारा नियम की समी मान्यताएँ :-
 चूंकि यह नियम क्रमागत उपयोगिता
 द्वारा नियम पर आधारित है इसलिए इस नियम की
 समी मान्यताएँ शुरू पर लागू होती हैं जैसे कि वस्तु
 की गुण एवं मात्राएँ समान रहनी चाहिए उसकी इकाई
 इन्हीं सेनी चाहिए एवं उपयोगिता की अपर एवं
 मानविक स्थिति पूर्ववत् रहनी चाहिए।

(II) मुद्रा की समान्त उपयोगिता स्थिर :-
 यह नियम इस मान्यता पर
 आधारित है कि मुद्रा की क्रयशक्ति एवं समान्त
 उपयोगिता स्थिर रहता है।

(III) मनुष्य की विवेकशील होना :- इस नियम
 की एक मान्यता यह भी है कि व्यक्ति विवेकशील
 होता है और अपना अपर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त
 करने के लिए करता है।

(IV) वस्तु के समान्त उपयोगिता का ज्ञान :- इस
 नियम की सीधी मान्यता यह है कि प्रत्येक उपयोगिता
 की वस्तुओं पर किए गए व्यय के उपर्य होने
 वाले समान्त उपयोगिता का पूरा ज्ञान होता है।

(V) उपयोगिता का माप :- यह सिद्धांत इस
 मान्यता पर आधारित है कि उपयोगिता का
 माप सभी सम है किमा जो सम है।

सम-सीमान्त उपप्राप्ति नियम का आधार सीमान्त उपप्राप्ति का दावा नियम है जिससे प्राप्त की अधिक स्कार स्वीकार है। इससे प्राप्त होने वाली उपप्राप्ति इससे पूर्व वाली स्कार से कम होगी है इसलिए उपभोक्ता उपभोग करते समय विभिन्न वस्तुओं की विभिन्न स्कारों से प्राप्त होने वाली उपप्राप्ति की तुलना दूसरी वस्तुओं की स्कारों से करता है। इस तुलना के परिणामस्वरूप उपभोक्ता ऐसी वस्तु की स्कार को पहले स्वीकारा है जिससे अधिक उपप्राप्ति प्राप्त होगी है तथा कम उपप्राप्ति प्राप्त होने वाली वस्तुओं की स्कारों को बाद के क्रम में रखता है।

उपभोक्ता अपने पूर्ण व्यय को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि सभी वस्तुओं की सीमान्त स्कारों से समान उपप्राप्ति प्राप्त हो। यह बिन्दु पर उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम होगी। सम-सीमान्त उपप्राप्ति नियम की आवश्यकता के निम्नलिखित कारण हैं:—

(I) मनुष्य की आवश्यकताएं अनन्त हैं।

(II) आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले साधन सीमित होते हैं तथा इन साधनों की एकता अधिक उपभोग होता है।

(iii) व्यक्तिकर अपने सीमित साधनों से अधिकतम
विनाश प्राप्त करना चाहता है।

(iv) व्यक्तिकर का व्यय विवेकपूर्ण होता है।

सम-सीमान्त उपभोगिता नियम की धारणाएँ :-

सम-सीमान्त उपभोगिता नियम की धारणाओं का विशिष्ट रूप है निम्नांकित
तरीके से व्याख्या की जा सकती है :-

(a) व्ययपूर्ण मान्यताएँ।

(b) वस्तुओं के विभाजन की अठिनाईयाँ।

(c) वस्तुओं के कीमत में परिवर्तन।

(d) रीति-रिवाज में परिवर्तन।

(e) केंद्रन में परिवर्तन।

व्याख्यान लेखक

श्री अमर कुमार पाठक

अर्थशास्त्र विभाग,

मारवाड़ी मेधा विशालय,

दरभंगा

मोबा - 9939036994